सुरेन्द्र कुमार जैन बनाम् अर्जुन अडवानी उर्फ अर्जुनदास अडवानी वगैरा।
(एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या- 2162/2006)
अन्तर्गत
(एकलपीठ दाण्डिक अनुमति याचिका संख्या- 327/2002)

30.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री अरविन्द भारद्वाज, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.7.2006 को रि-कॉल करने के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा यह याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-482 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में यह सर्वमान्य विधिक स्थिति है कि दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश को रि-कॉल करने के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-482 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं पाता। अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)